(e) In the light of certain representations received from some national level bank officers' associations, reexamination of the guidelines become necessary. The process of appointment of officer employee director shall be initiated as soon as the guidelines are finalised.

गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (नॉन-परफार्मिंग एसेट्स) को कम करने के लिये कदम

2471.**श्री राम जेठमलानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग़े की:

(**क**) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछले वर्षो के दौरान देश के 27 बैंको की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों को कम करने हेतु कुछ कदम उठाए गए है;

(**ख**) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गये कदमो का ब्यौरा क्या है; और

(**ग**) उठाए गये कदम के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम पर सरकार कि क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक आर.बी.आई. ने बैंकों से कहा है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण नीति, ऋण वसूली नीति तैयार करें तथा मुख्यालय में महाप्रबंधक के प्रभार में एक वसूली कक्ष स्थापित करें । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ऋण मूल्यांकन तंत्र तथा नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे । पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा ऋण वसूली अधिकारिणों के गठन से बैकों को विवादित या चूक-राशियों की वसूली में सहायता मिलने की आशा है ।

(ग) बैंको ने अनिष्पादित अस्तियों में कमी की प्रवृत्ति ला कर लाभदायक स्थिति (टर्न एरिउंड) प्राप्त कर ली है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों में से अनिष्पादित अस्तियों का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के दौरान 24.78% की तुलना में वर्ष 1994-45 में 19.45% रह गया है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान और भी कम होकर 17.12% रह गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने के संबंध में प्रावधान

2472.**श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

2471. क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है;

2472. यदि हां, तो अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिये सरकार ने क्या-क्या निर्देश दिये है; और

2473. पिछले तीन वर्षो के दौरान इन निर्देशों के कारण ऋण मुक्त हुये ऋण लेनदारों की ऐसे ऋणों की वार्षिक औसत राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) प्रत्येक वर्ष अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये राष्ट्रीयकरण अधिनियम अर्थात बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में कोई विशेष प्रावधान नही है ।

(ख) आय की पहचान और आस्तियों के वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडो के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि उन हानि वाली अस्तियों के मामले में जहां शेष बकाया राशि किसी प्रतिभूति से समर्थित नही है और साथ ही जहां बैंक को वही ऋणों की वसूली की कोई आशा नही है, बैक द्वारा समस्त शेष बकाया राशि को बट्टे- खाते डाला जा सकता है । यदि किसी कारण से ऐसी आस्तियों को बहियों में रहने देने की अनुमति दी जाती है तो बैंक से उसके लिये 100 प्रतिशत प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है ।

भारतीय रिजर्व ने बैंक ने बैंकों से कहा है कि अशोध्य ऋणों को बट्टे- खाते डालने से पूर्व उक्त देय राशि को वसूल करने के सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिये और यदि उन ऋणों की वसूली की आगे संभावनाए न हो तो बैंक के बेहतर हित में बट्टे-खाते डालने संबंधी शक्तियों को स्पष्टरूप से अधिकारियों के विभिन्न स्तरों में निहित किया गया हो बशर्त की, ऐसे आंकड़ों की उनके निदेशकमंडल द्वारा विधिवत जांच की गई है । भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बैंकों से कहा हो कि बट्टे-खाते